Regarding decision of Supreme Court for compulsory TTE examination of teachers who joined before 2009

माननीय अध्यक्ष: लाल जी वर्मा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री लालजी वर्मा **(**अम्बेडकर नगर**) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह विषय पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा है, अकेले उत्तर प्रदेश में दो लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है । जैसे आईएएस की परीक्षा होती है, बीच में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती है । शिक्षकों की नियुक्ति एक बार उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है, बीच में दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती है । अगर नियमावली में चेंज किया गया तो जब से चेंज किया उसके बाद से नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर लागू होता है । प्राथमिक और मिडल क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षकों की वर्ष 2009 के पहले भर्ती हुई थी, उस समय क्वालिफिकेशन के आधार पर भर्ती हुई ।

वर्ष 2009 में नया शिक्षा अधिनियम बना, उसके बाद लागू होना था । सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो 2009 के पहले भी शिक्षक नियुक्त थे उनको भी टीटीई की परीक्षा देना होगा । अगर कोई वकील वकालत पढ़ कर जज बना है, अगर उससे कहा जाए कि आप फिर से एलएलबी की परीक्षा पास कीजिए तो यह निश्चित रूप से अन्याय है । उसी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है जो दस साल और बीस साल से अध्यापन का काम कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी इस पर बोलें । इसमें संशोधन करके पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं, उन पर यह लागू न हो, ऐसा एक संशोधन लाया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: इसमें भारत सरकार क्या करगी? यह भारत सरकार का विषय नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसा एक संशोधन लाया जाए कि पहले से कार्यरत शिक्षकों को टीटीई की परीक्षा न देना पड़े । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और एडवोकेट डीन कुरियाकोस को श्री लालजी वर्मा द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है ।

12.14 hrs

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Lalji Verma and some other hon. Members left the House.

(व्यवधान)